

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

कल्याण व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या // /2022

20-01-2022 प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल वैरवा ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थीगण के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया।

प्रार्थीगण को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगणो को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्राबन्ध किया जाता है कि ग्राम सांउसीरान् तहसील जमवारामगढ़ में स्थित खसरा नं. 178 रकबा 0.1500 हैक्टेयर में किसी प्रकार का कब्जा अथवा निर्माण नहीं करें, तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल उत्पन्न नहीं करें, एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभाग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने परिवारजन्, एजेन्ट-सर्वेन्ट इत्यादि से करवावें। उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। पत्रावली दिनांक 17/2/2022 को अप्रार्थीगण को वास्ते तलबी नोटिस जारी होकर पेश हो।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

15/2/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा
कण्डोलेस/कार्यालय में प्रतिकार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/2/22 को पेश हुई

15/2/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा
कण्डोलेस/कार्यालय में प्रतिकार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/2/22 को पेश हुई

17/5/22

पत्रायली पेश हुई. अधिवक्ता सच द्वारा
एप्लोस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रायली पूर्वानुसार दिनांक 24/5/22 को पेश हुई।

24/5/22

24/6/22

पत्रायली आज प्रशासन गांवों के
संग अभियान 2021 कैम्प में पेश हुई। समय पक्षों में सहमति
नहीं हुई। पत्रायली पूर्वानुसार दिनांक
24/6/22 को पेश हो।

शिपिर प्रनारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

5/7/22

पत्रायली पेश हुई। पत्रायली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/अवकाश
दिनांक 01/8/22 को पेश हो

8/8/22

पत्रायली पेश हुई. अधिवक्ता सच द्वारा
एप्लोस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रायली पूर्वानुसार दिनांक 01/8/22 को पेश हुई।

01/8/22

21/6/22

पत्रायली पेश हुई. अधिवक्ता सच द्वारा
एप्लोस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रायली पूर्वानुसार दिनांक 05/7/22 को पेश हुई।

05/7/22

05/12/22

पत्रायली पेश हुई। पत्रायली पूर्वानुसार
दिनांक 26/12/22 को पेश हो

26/12/22

पत्रायली पेश हुई. अधिवक्ता सच द्वारा
एप्लोस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रायली पूर्वानुसार दिनांक 2/1/23 को पेश हुई।

2/1/23

2/2/23

पत्रायली पेश हुई। पत्रायली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/अवकाश
दिनांक 21/4/23 को पेश हो

21/4/23

फर्द अहकाम

कलमात बनाम हिक्कल

माल्य 35/1005 माछिकाठी पन्नालपत्र-6
 ता 11/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/4/23	पत्रावली पेश हुई। <u>डॉ. अरुण एस. राव</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब..... दिनांक <u>11/7/23</u> को पेश हो।	
11/7/23	पत्रावली पेश हुई। <u>डॉ. अरुण एस. राव</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब..... दिनांक <u>25/12/23</u> को पेश हो।	
25/2/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सच द्वारा कार्यवाही/कार्य का परिष्कार करने पत्र पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... पेश हुई। 11/9/23	
11/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सच द्वारा कार्यवाही/कार्य का परिष्कार करने पत्र पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... पेश हुई। 12/10/23	
12/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सच द्वारा कार्यवाही/कार्य का परिष्कार करने पत्र पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... पेश हुई। 15/12/23	
8/12/23	पत्रावली पेश हुई। <u>डॉ. अरुण एस. राव</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब..... दिनांक <u>16/1/24</u> को पेश हो।	
6/1/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सच द्वारा कार्यवाही/कार्य का परिष्कार करने पत्र पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... पेश हुई। 25/1/24	

फर्द अहकाम

कल्लाल वगैरे नाम सारकार वगैरे

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जनवारामगढ़ जयपुर
केस संख्या 11/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	25/1/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. No. 17/24 राजकारण के अंतर्गत पत्रावली पूर्वानुसार वास्तव में तलबी/जवाब दिनांक 8/2/24 को पेश है</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
	8/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा अर्चना पत्रावली शर्मा अर्चना दिनांक 9/2/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी जनवारामगढ़ </p>	
	09/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा अर्चना पत्रावली को मजबूत करने के लिए पत्रावली में संबंधित अर्थ वाद पत्र को जोड़कर एक निर्दिष्ट स्थान पर जोड़कर है। अतः अतः अतः अतः शर्मा अर्चना को अतः चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अतः अतः अतः शर्मा अर्चना को अतः अतः अतः किया जाता है। पत्रावली के अंतर्गत अतः अतः अतः अतः अतः वाद अतः अतः अतः अतः</p> <p style="text-align: right;"> उप खण्ड अधिकारी जनवारामगढ़ </p>	